— surviving spouse of the deceased subscriber.

— two children/orphans in addition to the surviving spouse.

(c) to (e) The proposed Scheme has been generally welcomed. However, the trade unions of certain establishments have protested against the scheme on the ground that the rates of pension proposed are low, there is no element of D.A., etc. These points have been noted for consideration while finalising the proposed pension Scheme.

Report on New Industrial Relations Law

54. SHRI V. GOPALSAMY :
SHRI PASUMPON THA KIRKUTTINAN :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state the action taken by Government on report of the Bipartite Committee on New Industrial Relations Law ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : The report of the Bipartite Committee on New Industrial Relations Law was considered in the Conference of the State Labour Ministers held in February 1992 and the Indian Labour Conference in September 1992. The areas of disagreement in the report were also considered by the Committee of five State Labour Ministers under the chairmanship of the Minister of State for Labour. On the basis of these deliberations and other relevant factors, specific proposals to amend the Industrial Disputes Act, 1947 and the Trade Unions Act, 1926 have been formulated. These proposals are being processed further.

रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

55. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 1992-97 और 1997-2002 तक की आगामी दो पंचवर्षीय योजनावधियों में रोजगार चाहने वाले लोगों की अतिरिक्त संख्या क्रमशः तीन करोड़ पांच लाख और तीन करोड़ छः लाख हो जाएगी;

(ख) यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार का क्या अनुमान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह हल करने के लिए कम से कम 3 प्रतिशत अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रति वर्ष पैदा करने होंगे जिससे कि सन् 2002 ईसवी तक इस समस्या पर काबू पाया जा सके;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि 1991-92 और 1992-93 के वर्षों में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों की वार्षिक वृद्धि 3 प्रतिशत से कम है; और

(च) यदि हां, तो 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः अतिरिक्त रोजगार के अवसरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (ख) 1992-97 और 1997-2002 की अवधि के दौरान श्रम बल में वृद्धि क्रमशः 350 लाख और 360 लाख होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) आठवीं और नौवीं योजना की अवधि के दौरान प्रति वर्ष लगभग 2.6 से 2.8 प्रतिशत की औसत रोजगार वृद्धि से 2002 ईसवी तक लगभग पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त होने की आशा है ।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी पिछला विस्तृत सर्वेक्षण